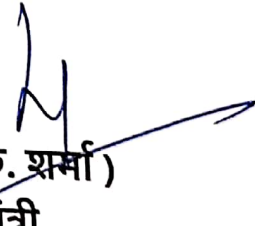


**विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डॉ० मान सिंह यादव,
मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-40 का उत्तर।**

प्रश्न	उत्तर
40 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के ग्राम बरावन कलॉ, तहसील-सदर में खसरा संख्या-234 के बगल में सरकारी चकरोड जेहटा से अजय गुप्ता के घर तक सी०सी०/इण्टरलाकिंग रोड न होने के कारण स्थानीय निवासियों/राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?	प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा अनधिकृत रूप से बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सम्बन्धित सोसाइटी/कालोनाईजर का होता है, फिर भी नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से व्यापक जनहित के दृष्टिगत विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।
(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर सी०सी०/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।


(ए.के. शर्मा)
मंत्री,
नगर विकास विभाग।